उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–1498 / ग्यारह–9(1) / 2008–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(144)–2015
लखनऊः दिनांकः: 14 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 से, समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–2757 / ग्यारह–9(1) / 08–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(31) –2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात् :–

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
9	कोयला, जिसके अन्तर्गत कोक अपने सब रूपों में भी है।	माल के मूल्य का 2 प्रतिशत

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।